पुलिस थाना-फूलपुर, गोमती जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

उत्तर प्रदेश पिन नं-221206

सी.यू.जी. नं.-9454404395 ई-मेल- so-phoolpur.va@up.gov.in

प्रेस नोट

थाना फूलपुर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को 04 किग्रा0 50 ग्राम नाजायज गाँजा व एक अदद अवैध देशी कट्टा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी में अपराध व अपराधियों व अवैध मादक पदार्थ के विरूद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में एवं श्रीमान पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में दिनांक 06.11.2023 को श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ का व्यापार करने वाले के विरूद्ध थाना फूलपुर पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 04 किग्रा0 50 ग्राम अवैध गाँजा व एक अदद अवैध देशी कट्टा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया।

दिनांक 06.11.2023 को जरिये मुखबीर खास ने आकर बताया कि ग्राम सुरही से करखियाँव की तरफ एक व्यक्ति हाथ मे एक झोला लेकर जिसमें नाजायज गाँजा है बेचने के लिए कहीं जा रहा है। यदि शीघ्रता किया जाय तो उसे पकडा जा सकता है। मुखबिर खास को साथ लेकर हम पुलिस वाले तुरन्त करखियाँव गेट से सुरही गाँव की तरफ बढे कि मुखबिर खास के द्वारा सुरही थरी मार्ग पर खडे व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तालाशी ली गयी तो अपना नाम प्रमोद विश्वकर्मा पुत्र स्व0 राजमन विश्वकर्मा नि0 ग्राम भुसौली (सुरही) थाना फूलपुर वाराणसी उम्र करीब 38 वर्ष के पास से पहने पैन्ट की कमर के बाँये फैट से एक अदद देशी कट्टा 12 बोर को कट्टे को सावधानी पूर्वक खोलकर

चेक किया गया तो कट्टे की नाल मे एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर फंसा हुआ बरामद हुआ जिसके पेंदे पर SHAKTI MAAN EXPRESS 12 लिखा है। उक्त कारतूस को कट्टे की नाल से बाहर निकाला गया। कट्टा रखने के संबंध मे लाइसेंस की माँग किया गया तो लाइसेंस दिखाने से कासिर रहा तथा झोले को मौके पर खोल कर देखा गया तो झोले में एक सफेद पन्नी में भरी हुई वस्तु को खोलकर सूँघा व हमराहियान को सुँघाया गया जिसमे से गाँजे की गंध आ रही है । गांजा के सम्बन्ध में लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा बरामदशुदा अवैध कट्टे व 01 अदद जिंदा कारतूस को पारदर्शी प्लास्टिक के डब्बे मे रखकर सील सर्वमोहर कर मय नमूना मोहर तैयार किया गया तथा बरामदशुदा गांजा की तौल की गयी तो कुल 4 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा पाया गया। बरामदशुदा गांजा से मौके पर नमूना परीक्षण हेतु 100 ग्राम गांजा निकालकर अलग से सील सर्वमोहर किया गया तथा बरामदशुदा शेष गांजा को एक सफेद कपड़े में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। अभियुक्त का यह कृत्य आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 व एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 का अपराध है अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर मु0अ0स0 383/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट में विधिक कार्यवाही किया जा रहा है अभियुक्त के विरूद्ध विविध कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम पताः

1. प्रमोद विश्वकर्मा पुत्र स्व0 राजमन विश्वकर्मा नि0 ग्राम भुसौली (सुरही) थाना फूलपुर वाराणसी उम्र करीब 38 वर्ष ।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान – दिनांक 06.11.2023 समय करीब 02.25 बजे सुरही थरी मार्ग थाना फूलपुर जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।

पंजीकृत अभियोग जिसके अन्तर्गत गिरफ्तारी हुई है का विवरण –

1. मु0अ0सं0- 0122/2022 धारा- 201/302 भादवि0 थाना फूलपुर जनपद वाराणसी ।
2. मु0अ0स0 383/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद वाराणसी कमिश्नरेट ।

बरामदगी का विवरण –

1. **04 किलो 50 ग्राम गांजा नाजायज एक अदद अवैध कट्टा व 01 अदद जिंदा कारतूस**

पुलिस टीम का विवरण:-

1.उ0नि0 रवि प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र -----थाना फूलपुर वाराणसी।

2. का0 अशोक रैक्वार ----थाना फूलपुर वाराणसी।

3. का0 रामनेवास जायसवाल------ थाना फूलपुर वाराणसी।

थानाध्यक्ष

थाना-फूलपुर, कमि0 वाराणसी